के.सं.वि.वि./छात्रवृत्ति/110/सूचना/2025 केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) 56-57, इन्स्टीटयूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.

दिनांक 18.3.2025

अधिसूचना-1/2025

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा पारंपरिक धारा के अन्तर्गत पूर्वमध्यमा से उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री द्वितीय वर्ष तक तथा शास्त्री से विद्यावारिधि तक एवं आधुनिक धारा के अन्तर्गत कक्षा नवमीं से बारहवी तक तथा बी.ए. से पी.एच.डी तक संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में नियमित रूप से पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को वर्ष-2023-2024 की मेधावी छात्रवृत्ति के लिए अस्थायी चयनित छात्र/छात्राओं की सूची सत्यापन/अपेक्षित प्रपत्रों हेतु सम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्राचार्य/सक्षम अधिकारी को प्रेषित की गई थी, किन्तु कुछ संस्थाओं से अभी तक सत्यापित सूची/अपेक्षित प्रपत्रों की सत्यापित प्रति इस विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सक्षम अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि छात्रवृत्ति प्रेषण हेतु अपेक्षित सत्यापित प्रपत्र दिनांक 30.04.2025 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय, दिल्ली में व्यक्तितगत अथवा डाक द्वारा पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिनांक 30.4.2025 के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए स्वीकृति पत्र को निरस्त समझा जाएगा।

यदि छात्रवृत्ति सम्बन्धित दस्तावेजों एवं सूचनाओं के गैर-सत्यापन इत्यादि विवरणों की अनुपलब्धता के कारणों से कोई भी आवेदक छात्रवृत्ति से वंचित हुआ है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था पर होगी।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत की गई है।

彦0/-

प्रभारी (छात्रवृत्ति)

CSU/Sch./110/Notice/2025 CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY (Under Ministry of Education, Govt. of India) 56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi- 110058

Dated:- 18.3.2021

NOTIFICATION-1/2025

The Central Sanskrit University, Delhi had forwarded a list of provisionally selected meritorious regular students of Sanskrit/Pali/Prakrit from Purva Madhyama to Uttarmadhyama/Prak-Shastri and Shastri to Vidyavaridhi under traditional stream and 9th class to 12th class and B.A. to Ph.D. levels under modern stream, to Principal/Competent Authority of concerned Schools/Colleges/ Universities/Institutions for verification/providing the relavent documents for award of merit Scholarship for the year 2023-2024. It is noticed that some of the Schools/Colleges/ Universities/Institutions have not verified list/provided the relavent verified documents to the University till date. Hence all, such, Institutions are hereby requested to ensure submission of relavent documents, duly verified, latest by 30.04.2025 to the Headquarters of the University, Delhi through the by hand or by speed post. If relavent documents received after 30.04.2025, candidature of the student shall not be entertained and the offer for award of Scholarship shall be treated as cancelled.

In case any applicant has deprived of getting scholarship due to non-verification/not providing of his/her relevant documents/information by the concerned institute, then the responsibility will be lie with the concerned institution.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Sd/-

Incharge (Scholarship)